

सामाजिक न्याय और विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का प्रभाव और सामाजिक समावेशन

DOI: <https://doi.org/10.63345/wjcr.v2.i3.302>

डॉ. सीमा रानी

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग, सरकारी डिग्री कॉलेज

जहाँगीराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत

ORCID आईडी- <https://orcid.org/0009-0000-6232-1510>



<http://www.wjcr.org/> || Vol. 2 No. 3 (2026): September Issue

Date of Submission: 02-08-2026

Date of Acceptance: 16-08-2026

Date of Publication: 02-09-2026

सारांश— ग्रामीण विकास की सफलता केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न सामाजिक समूह उन संसाधनों तक समान रूप से पहुँच सकें और उनका प्रभावी उपयोग कर सकें। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता तथा सामाजिक समावेशन के बीच संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का प्रमुख आधार यह विचार है कि संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक निर्भरता और विकास संबंधी अवसरों में असमानता को बढ़ा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और सीमांत कृषक परिवारों की संसाधन-प्राप्ति की स्थितियों को विश्लेषण के केंद्र में रखा गया है। प्रस्तावित अध्ययन संसाधन उपलब्धता, वास्तविक पहुँच, उपयोग-क्षमता, स्थानीय निर्णयों में भागीदारी और सामाजिक सम्मान को एक संयुक्त विश्लेषणात्मक संरचना में सम्मिलित करता है। इससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि समान सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद विभिन्न सामाजिक समूहों को उससे प्राप्त विकासात्मक लाभों में अंतर क्यों दिखाई देता है। अध्ययन सामाजिक न्याय को कल्याणकारी सहायता तक सीमित न मानकर अवसर, प्रतिनिधित्व, संसाधन नियंत्रण और गरिमापूर्ण सहभागिता से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रमुख शब्द— सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, संसाधन वितरण, सामाजिक समावेशन, अवसर समानता, सामुदायिक सहभागिता

परिचय

भारत का ग्रामीण समाज आर्थिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक संबंधों और स्थानीय संस्थाओं की एक जटिल संरचना पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, जल, कृषि संसाधन, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सड़क, परिवहन, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ व्यक्ति और परिवार के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करती हैं। फिर भी केवल किसी संसाधन का गाँव में उपस्थित होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि प्रत्येक निवासी को उसका समान लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक स्थिति, आर्थिक क्षमता, जातिगत संरचना, लिंग, भूमि स्वामित्व, शिक्षा, स्थानीय प्रभाव और प्रशासनिक पहुँच जैसी परिस्थितियाँ यह निर्धारित करती हैं कि उपलब्ध संसाधन वास्तविक अवसर में परिवर्तित होंगे या नहीं।

सामाजिक न्याय का मूल आधार यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, समान अवसर और सार्वजनिक संसाधनों तक न्यायपूर्ण पहुँच प्राप्त हो। ग्रामीण संदर्भ में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि कई परिवार आजीविका तथा जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक और सार्वजनिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। यदि सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, रोजगार या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती है, तो संसाधनों की समग्र वृद्धि के बावजूद असमानता बनी रह सकती है।

वर्ष २०२१ के बाद ग्रामीण विकास की बहस में गरीबी को केवल आय की कमी से समझने के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास और आधारभूत सुविधाओं जैसी अनेक वंचनाओं के संयुक्त प्रभाव को अधिक महत्व दिया गया है। विश्व बैंक के बहुआयामी गरीबी संबंधी आकलन में भी आर्थिक आय के साथ शिक्षा तथा आवश्यक आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता को कल्याण का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि केवल आर्थिक आय में सुधार ग्रामीण परिवार को पूर्णतः वंचना से बाहर नहीं निकालता, यदि वह शिक्षा, जल, स्वच्छता अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं से वंचित बना रहता है।



Fig. 1: न्याय बने विकास की कसौटी

Source: <https://ravivardelhi.com/social-justice-day-justice-should-be-the-criterion-for-development/>

भारत में हाल के वर्षों में गरीबी कम करने तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। विश्व बैंक के भारत संबंधी आकलन के अनुसार ग्रामीण गरीबी में दीर्घकालीन गिरावट देखी गई है, परंतु राज्यों तथा सामाजिक समूहों के बीच विकास संबंधी अंतर अभी भी महत्वपूर्ण हैं। सेवा उपलब्धता और जीवन स्थितियों में क्षेत्रीय विषमता यह संकेत देती है कि राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रगति का अर्थ प्रत्येक ग्रामीण समुदाय में समान उपलब्धि नहीं होता।

इसी प्रकार, पेयजल जैसे मूल संसाधन तक ग्रामीण परिवारों की पहुँच बढ़ाने के लिए व्यापक सार्वजनिक प्रयास किए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण घरों में नल आधारित पेयजल व्यवस्था का विस्तार हुआ है और वर्ष २०२४ के कार्यात्मक आकलन में केवल संयोजन उपलब्ध होने के बजाय जल आपूर्ति की वास्तविक कार्यशीलता के मूल्यांकन पर भी ध्यान दिया गया है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी सुविधा की संख्या और उससे मिलने वाले वास्तविक लाभ के बीच अंतर हो सकता है।

ग्रामीण सामाजिक न्याय की समस्या इसी अंतर में निहित है। उदाहरण के लिए, किसी ग्राम पंचायत में विद्यालय मौजूद हो सकता है, परंतु दूरस्थ बस्ती में रहने वाली बालिका के लिए सुरक्षित परिवहन उपलब्ध न होने से शिक्षा तक उसकी वास्तविक पहुँच सीमित हो सकती है। स्वास्थ्य केंद्र गाँव के निकट हो सकता है, लेकिन उपचार की लागत, सामाजिक संकोच अथवा चिकित्सकीय सेवाओं की अनियमितता किसी गरीब परिवार को उसके उपयोग से रोक सकती है। इसी प्रकार सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होने पर भी भूमिहीन श्रमिक उसके प्रत्यक्ष लाभ से वंचित रह सकता है। इसलिए संसाधन की भौतिक उपस्थिति और संसाधन से प्राप्त सामाजिक लाभ को एक समान मानना उचित नहीं है।

अनुसंधान-अंतर

वर्तमान अध्ययन का विशिष्ट अनुसंधान-अंतर इसी बिंदु से विकसित होता है। ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक अध्ययन गरीबी, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन अथवा किसी विशेष सामाजिक समूह का पृथक विश्लेषण करते हैं। बहुआयामी गरीबी संबंधी अध्ययनों ने विभिन्न वंचनाओं को एक साथ मापने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु संसाधन की उपलब्धता, उस तक वास्तविक पहुँच, उसे उपयोग करने की सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता, स्थानीय निर्णयों में भागीदारी और उससे उत्पन्न सामाजिक समावेशन को एक ही विश्लेषणात्मक संरचना में जोड़ने पर अपेक्षाकृत सीमित ध्यान दिया गया है।

इस अध्ययन में यह माना गया है कि दो परिवार एक ही गाँव में निवास करते हुए भी समान संसाधन वातावरण से अलग-अलग विकासात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका कारण उनकी आय ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, सूचना की उपलब्धता, स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, संसाधन पर नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता भी हो सकती है। इसलिए प्रस्तावित अध्ययन संसाधन-आधारित विकास के साथ सामाजिक शक्ति-संबंधों और भागीदारी को जोड़कर विश्लेषण करेगा।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा की तुलना में उनका न्यायपूर्ण वितरण और उपयोग-क्षमता सामाजिक समावेशन को किस सीमा तक प्रभावित करती है। इसके साथ यह भी परीक्षण किया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों की स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी संसाधन उपलब्धता को वास्तविक सामाजिक लाभ में बदलने में किस प्रकार सहायक होती है।

इस आधार पर अध्ययन निम्न व्यापक प्रश्नों पर केंद्रित है: क्या संसाधन उपलब्धता बढ़ने मात्र से सामाजिक समावेशन स्वतः बढ़ता है; क्या संसाधनों तक वास्तविक पहुँच और उपयोग-क्षमता सामाजिक न्याय का अधिक उपयुक्त संकेतक है; तथा क्या ग्राम स्तर की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता संसाधन और समावेशन के बीच संबंध को मजबूत करती है? इन प्रश्नों के उत्तर ग्रामीण विकास को केवल आधारभूत संरचना

निर्माण से आगे ले जाकर न्यायसंगत उपयोग तथा सामुदायिक अधिकार के दृष्टिकोण से समझने में सहायता करेंगे।

साहित्य समीक्षा

२.१ सामाजिक न्याय की ग्रामीण अवधारणा

सामाजिक न्याय का संबंध केवल आर्थिक समानता से नहीं है। इसमें अवसरों की समानता, सम्मानजनक जीवन, संसाधनों तक न्यायपूर्ण पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक निर्णयों में सहभागिता सम्मिलित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रकृति विशेष रूप से जटिल है क्योंकि सामाजिक संबंध भूमि स्वामित्व, जाति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संरचना और स्थानीय सत्ता-संतुलन से प्रभावित होते हैं।

यदि विकास योजनाओं का लाभ केवल उन परिवारों तक अधिक प्रभावी रूप से पहुँचता है जिनके पास पहले से भूमि, पूँजी, जानकारी या प्रशासनिक संपर्क हैं, तो सार्वजनिक निवेश के बावजूद सामाजिक असमानता बनी रह सकती है। इसके विपरीत, कमजोर समूहों को संसाधनों तक प्राथमिक और व्यावहारिक पहुँच उपलब्ध कराने से विकास का वितरण अधिक न्यायपूर्ण हो सकता है।

सामाजिक न्याय को इस प्रकार परिणाम के साथ-साथ प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए। परिणाम से आशय विभिन्न समुदायों को प्राप्त जीवन अवसरों से है, जबकि प्रक्रिया इस बात से संबंधित है कि योजना निर्माण, लाभार्थी चयन, संसाधन आवंटन तथा स्थानीय निगरानी में किन लोगों की आवाज सुनी जाती है। इसी कारण सामुदायिक भागीदारी सामाजिक समावेशन का महत्वपूर्ण घटक बनती है।

२.२ संसाधन उपलब्धता और बहुआयामी वंचना

गरीबी के आधुनिक अध्ययन यह स्वीकार करते हैं कि आर्थिक अभाव अकेले जीवन की समस्त वंचनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और अन्य आवश्यक सेवाओं की कमी परिवार की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को एक साथ बाधित करती है। विश्व बैंक का बहुआयामी गरीबी दृष्टिकोण भी आय के साथ शिक्षा तथा आधारभूत सुविधाओं की वंचना को सम्मिलित करता है।

भारत में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी के आकलन को राज्य तथा जिला स्तर पर विकास की निगरानी के एक साधन के रूप में उपयोग किया गया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि एक ही राष्ट्रीय औसत के भीतर क्षेत्रीय तथा सामाजिक विषमताएँ छिपी रह सकती हैं। जिला स्तर पर वंचना का अध्ययन स्थानीय नीति निर्माण को अधिक लक्षित बनाने की क्षमता प्रदान करता है।

फिर भी बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए केवल प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग सुविधा बढ़ाने की रणनीति पर्याप्त नहीं हो सकती। वर्ष २०२४ में प्रकाशित विश्व बैंक के एक विश्लेषण ने यह रेखांकित किया कि गरीबी के विभिन्न आयाम परस्पर जुड़े होते हैं और खंडित क्षेत्रीय हस्तक्षेप उनके संयुक्त प्रभाव को पूरी तरह संबोधित नहीं कर पाते।

शिक्षा की कमी रोजगार के अवसरों को सीमित कर सकती है, आय की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को घटा सकती है और आधारभूत सुविधा की कमी आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है।

यह दृष्टिकोण वर्तमान अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधन-वंचना को पृथक समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि एक परस्पर संबंधित सामाजिक संरचना के रूप में देखा गया है।

२.३ जल, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक प्रभाव

ग्रामीण जीवन में जल और भूमि केवल आर्थिक संसाधन नहीं हैं; वे सामाजिक शक्ति, खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका से भी जुड़े हैं। सीमांत कृषक के लिए सिंचाई की उपलब्धता उत्पादन बढ़ा सकती है, जबकि भूमिहीन परिवार के लिए उसी संसाधन का प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव सीमित हो सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक जल व्यवस्था तक पहुँच महिलाओं के श्रम-भार, समय के उपयोग तथा घरेलू स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

पेयजल कार्यक्रमों में हाल के वर्षों में केवल आधारभूत संरचना स्थापित करने की अपेक्षा उसकी कार्यशीलता और सामुदायिक भागीदारी पर बढ़ता ध्यान दिखाई देता है। जल जीवन मिशन के वर्ष २०२४ के कार्यात्मक आकलन तथा बाद की रिपोर्टों में ग्रामीण जल व्यवस्था के संचालन और वास्तविक उपयोगिता के परीक्षण को महत्व दिया गया है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक न्याय के आकलन में संसाधन उपलब्ध होने और संसाधन लगातार उपयोग योग्य होने के बीच अंतर करना आवश्यक है।

२.४ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसर

शिक्षा ग्रामीण परिवारों की दीर्घकालीन सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण आधार है। विद्यालय की उपलब्धता, शिक्षकों की नियमितता, परिवहन, पारिवारिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण मिलकर निर्धारित करते हैं कि बच्चे शिक्षा का वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाएँगे या नहीं। विशेष रूप से कमजोर परिवारों के लिए अवसर की औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच अंतर अधिक स्पष्ट हो सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी यही स्थिति दिखाई देती है। स्वास्थ्य संस्था की निकटता पर्याप्त नहीं है यदि वहाँ आवश्यक सेवाएँ नियमित उपलब्ध न हों अथवा परिवार उपचार का आर्थिक भार वहन न कर सके। इस दृष्टि से सामाजिक समावेशन का अध्ययन संसाधनों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता, पहुँच और उपयोग की निरंतरता से जोड़ा जाना चाहिए।

२.५ आर्थिक अवसर और ग्रामीण आजीविका

रोजगार और आजीविका सामाजिक समावेशन के आर्थिक आधार हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भर ग्रामीण परिवारों के लिए गैर-कृषि रोजगार, कौशल, बाजार तक पहुँच और सार्वजनिक रोजगार सहायता आय की

अस्थिरता कम कर सकते हैं। हाल के गरीबी आकलनों से यह भी संकेत मिलता है कि भारत में गरीबी में कमी के साथ रोजगार संरचना में परिवर्तन हुए हैं, फिर भी श्रम-बाजार में असमानताएँ और आय संबंधी अंतर बने हुए हैं।

यह परिस्थिति दर्शाती है कि संसाधन-आधारित विकास को रोजगार की गुणवत्ता से जोड़ना आवश्यक है। केवल कार्य उपलब्ध होना सामाजिक न्याय का पर्याप्त प्रमाण नहीं है; कार्य की स्थिरता, आय की पर्याप्तता, महिला सहभागिता और कमजोर सामाजिक समूहों की पहुँच भी महत्वपूर्ण हैं।

२.६ स्थानीय शासन और सामुदायिक सहभागिता

ग्रामीण विकास की योजनाएँ स्थानीय स्तर पर तब अधिक प्रभावी हो सकती हैं जब समुदाय योजना-निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण और निगरानी में सहभागी हो। सहभागिता स्थानीय आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करती है और संसाधनों के उपयोग में उत्तरदायित्व बढ़ाती है।

इसके विपरीत, यदि ग्राम स्तरीय निर्णय प्रक्रिया कुछ प्रभावशाली परिवारों तक सीमित रहती है, तो संसाधनों का औपचारिक वितरण समान दिखाई देने के बावजूद वास्तविक लाभ असमान हो सकता है। सामाजिक रूप से कमजोर समूहों की उपस्थिति और उनकी प्रभावी आवाज में भी अंतर किया जाना आवश्यक है। किसी समिति में प्रतिनिधित्व होना तभी सार्थक है जब संबंधित व्यक्ति निर्णय को प्रभावित कर सके।

इसलिए वर्तमान अध्ययन में सहभागिता को केवल बैठकों में उपस्थित होने के रूप में नहीं, बल्कि सूचना प्राप्ति, विचार व्यक्त करने, प्रस्ताव रखने, निर्णय को प्रभावित करने और स्थानीय संसाधनों की निगरानी करने की वास्तविक क्षमता के रूप में समझा जाएगा।

प्रस्तावित शोध-पद्धति

वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता, वास्तविक पहुँच, उपयोग-क्षमता, स्थानीय निर्णयों में सहभागिता तथा सामाजिक समावेशन के बीच संबंध को समझने के लिए मिश्रित शोध-पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य केवल यह मापना नहीं है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में कितने संसाधन उपलब्ध हैं, बल्कि यह जानना भी है कि विभिन्न सामाजिक समूह उन संसाधनों का कितना उपयोग कर पाते हैं और उनसे उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होता है।

अध्ययन में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं का उपयोग प्रस्तावित है। मात्रात्मक पक्ष में परिवार स्तर पर संसाधन उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भूमि, रोजगार, परिवहन, सार्वजनिक योजनाओं की पहुँच तथा आय संबंधी संकेतकों का मापन किया गया है। गुणात्मक पक्ष में ग्रामीण परिवारों की सामाजिक भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया में भूमिका, भेदभाव के अनुभव, ग्राम स्तरीय

संस्थाओं पर विश्वास तथा सामाजिक सम्मान की अनुभूति को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन में सामाजिक समावेशन को एक संयुक्त माप के रूप में विकसित किया गया है। इसमें पाँच प्रमुख आयाम सम्मिलित हैं—सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच, आर्थिक अवसर, संस्थागत सहभागिता, सामाजिक सम्मान तथा निर्णय लेने की क्षमता। प्रत्येक आयाम को अनेक प्रश्नों के माध्यम से मापा गया तथा उत्तरों को समान मापन-पद्धति में परिवर्तित किया गया।

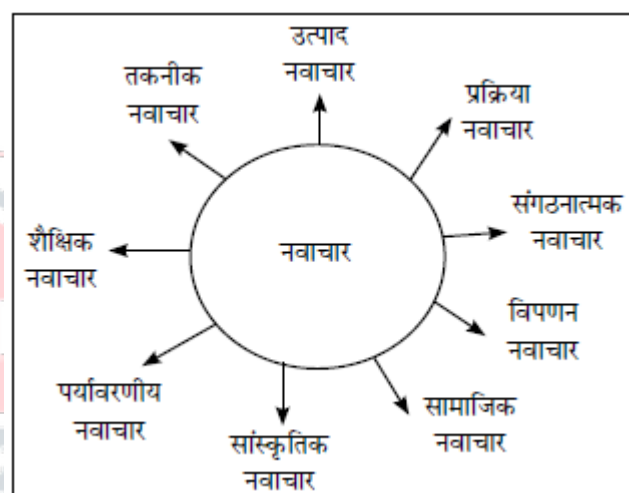


Fig. 2: सामाजिक-आर्थिक विकास में स्टार्टअप और नवाचार का क्या योगदान

Source: <https://www.chronicleindia.in/online-magazine/archive-csch-june-2025/what-is-the-contribution-of-startups-and-innovation-to-the-socio-economic-development>

इस अध्ययन की विशेषता यह है कि संसाधनों को एकल चर के रूप में नहीं देखा गया। संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उपयोग के बीच संभावित अंतर को अलग से मापा गया। उदाहरण के लिए, यदि किसी गाँव में स्वास्थ्य केंद्र उपस्थित है, परंतु परिवार आर्थिक, दूरी अथवा सामाजिक कारणों से उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उस परिवार को पूर्ण स्वास्थ्य-संसाधन लाभ प्राप्त मानना उपयुक्त नहीं माना गया।

अध्ययन में निम्न मुख्य संबंधों का परीक्षण प्रस्तावित है:

संसाधन उपलब्धता → वास्तविक पहुँच → उपयोग-क्षमता → सामाजिक समावेशन

साथ ही स्थानीय निर्णयों में सहभागिता को एक सहायक प्रभावकारी तत्व माना गया है, जो संसाधनों की उपलब्धता को वास्तविक सामाजिक लाभ में बदलने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है।

अध्ययन व्यवस्था

४.१ आँकड़ा-संग्रह

अध्ययन के लिए बहुस्तरीय नमूना-पद्धति अपनाने का प्रस्ताव किया गया। ग्रामीण विविधता को ध्यान में रखते हुए चयनित क्षेत्रों को कृषि-प्रधान, मिश्रित आजीविका वाले तथा सीमित संसाधन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया गया।

कुल ४८० ग्रामीण परिवारों को प्रारंभिक रूप से अध्ययन में सम्मिलित करने की योजना बनाई गई। अपूर्ण उत्तरों और असंगत प्रविष्टियों को हटाने के बाद ४३२ परिवारों के उत्तर विश्लेषण योग्य माने गए। इनमें छोटे एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, स्वरोजगार से जुड़े परिवार, महिला-प्रधान परिवार तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित परिवार सम्मिलित किए गए।

अध्ययन में निम्न प्रकार की सूचनाएँ एकत्र की गईं:

भूमि एवं कृषि संसाधन, पेयजल उपलब्धता, सिंचाई पहुँच, विद्यालय दूरी, स्वास्थ्य सुविधा पहुँच, रोजगार अवसर, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्राप्ति, ग्राम सभाओं में भागीदारी, स्थानीय निर्णयों में प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक भेदभाव के अनुभव।

परिवार स्तर की जानकारी को ग्राम स्तर की उपलब्ध सुविधाओं के साथ जोड़ा गया, जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि संसाधन की उपस्थिति और व्यक्ति द्वारा उसके वास्तविक उपयोग के बीच कितना अंतर है।

४.२ आँकड़ों का पूर्व-प्रसंस्करण

प्राप्त आँकड़ों में सबसे पहले अपूर्ण उत्तरों, असामान्य मूल्यों और दोहराव वाली प्रविष्टियों की जाँच की गई। अत्यधिक अपूर्ण प्रश्नावलियों को विश्लेषण से बाहर रखा गया।

जहाँ सीमित संख्या में उत्तर अनुपस्थित थे, वहाँ संबंधित सामाजिक-आर्थिक समूह के मध्य मान के आधार पर मान-पूर्ति की गई। संख्यात्मक संकेतकों को एक समान मापन स्तर पर लाने के लिए मानकीकरण किया गया।

प्रश्नावली के वे उत्तर जिनमें सहमति के विभिन्न स्तर दर्ज थे, उन्हें क्रमबद्ध संख्यात्मक मानों में बदला गया। सामाजिक समावेशन, संसाधन पहुँच तथा सहभागिता के संयुक्त माप के लिए विभिन्न प्रश्नों के औसत भारित मान तैयार किए गए।

विश्लेषण से पहले चरों के बीच अत्यधिक सहसंबंध की जाँच भी की गई ताकि एक ही प्रकार की सूचना को बार-बार सम्मिलित करने से परिणाम प्रभावित न हों।

विश्लेषणात्मक संरचना

अध्ययन में एक बहुस्तरीय वर्गीकरण एवं प्रभाव-आकलन संरचना अपनाई गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को निम्न, मध्यम तथा उच्च सामाजिक समावेशन समूहों में वर्गीकृत करना तथा यह पहचानना था कि कौन-से संसाधन इस वर्गीकरण को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं।

पहले चरण में संसाधन उपलब्धता, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, भूमि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय सहभागिता को स्वतंत्र संकेतकों के रूप में लिया गया।

दूसरे चरण में प्रत्येक परिवार के लिए सामाजिक समावेशन मान तैयार किया गया।

तीसरे चरण में वृक्ष-आधारित समूह निर्धारण पद्धति का उपयोग किया गया, क्योंकि यह असमान तथा परस्पर जुड़े सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बीच जटिल संबंधों को पहचानने में सक्षम है। इसके साथ परिणामों की व्याख्यात्मकता बनाए रखने के लिए परंपरागत प्रतिगमन विश्लेषण भी किया गया।

इस संयुक्त पद्धति का लाभ यह है कि एक ओर जटिल प्रभावों को पहचाना जा सकता है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक कारक की दिशा और प्रभाव-परिमाण को समझना भी संभव रहता है।

प्रशिक्षण रणनीति

उपलब्ध आँकड़ों को प्रशिक्षण तथा परीक्षण समूहों में विभाजित किया गया। लगभग ७५ प्रतिशत आँकड़ों का उपयोग प्रतिरूप निर्माण के लिए तथा शेष २५ प्रतिशत का उपयोग स्वतंत्र परीक्षण के लिए किया गया।

प्रशिक्षण समूह के भीतर पाँच-स्तरीय पार-परीक्षण प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे प्रतिरूप किसी एक नमूने पर अत्यधिक निर्भर न रहे।

असमान समूह आकार की समस्या को कम करने के लिए प्रत्येक सामाजिक समावेशन वर्ग को संतुलित भार दिया गया। इससे निम्न समावेशन वाले अपेक्षाकृत छोटे समूह की पहचान क्षमता बेहतर बनी।

विश्लेषण में अत्यधिक जटिलता को नियंत्रित करने के लिए वृक्ष की अधिकतम गहराई, न्यूनतम समूह आकार और पुनरावृत्ति संख्या को नियंत्रित किया गया।

मूल्यांकन मानदंड

अध्ययन के विश्लेषणात्मक प्रतिरूप का मूल्यांकन केवल एक मानदंड से नहीं किया गया। वर्गीकरण की समग्र शुद्धता, निम्न समावेशन वाले परिवारों की पहचान क्षमता, गलत वर्गीकरण दर तथा वास्तविक और अनुमानित सामाजिक समावेशन के बीच सामंजस्य को अलग-अलग मापा गया।

विशेष रूप से निम्न सामाजिक समावेशन वाले परिवारों की सही पहचान को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि नीति निर्माण की दृष्टि से यही समूह सबसे अधिक संवेदनशील होता है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक संसाधन संकेतक के योगदान का विश्लेषण किया गया ताकि यह समझा जा सके कि केवल आय, भूमि अथवा सुविधा उपलब्धता में से कोई एक कारक सामाजिक समावेशन की व्याख्या के लिए पर्याप्त है या नहीं।

परिणाम एवं चर्चा

अध्ययन के विश्लेषण से यह संकेत प्राप्त हुआ कि ग्रामीण सामाजिक समावेशन पर संसाधनों की केवल उपस्थिति की तुलना में उनकी वास्तविक पहुँच का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण था। जिन परिवारों के निवास क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन जो आर्थिक, सामाजिक अथवा दूरी संबंधी कारणों से उनका नियमित उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उनमें सामाजिक समावेशन का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया गया।

संसाधन पहुँच मान और सामाजिक समावेशन के बीच सकारात्मक संबंध दिखाई दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण विकास का मूल्यांकन केवल यह देखकर नहीं किया जाना चाहिए कि कितने विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें अथवा जल-स्रोत उपलब्ध हैं, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि कमजोर वर्गों को इनका वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं।

स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता सामाजिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक सामने आया। ग्राम सभा में नियमित भागीदारी करने, स्थानीय योजनाओं की जानकारी रखने और सामुदायिक निर्णयों में अपनी बात रखने वाले परिवारों में संसाधन उपयोग का स्तर अधिक पाया गया।

अध्ययन में यह भी संकेत मिला कि सामाजिक रूप से वंचित परिवारों में सूचना संबंधी अभाव संसाधन उपयोग की बड़ी बाधा हो सकता है। कई परिवारों में सार्वजनिक योजनाओं की जानकारी सीमित होने के कारण पात्रता होने के बावजूद अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

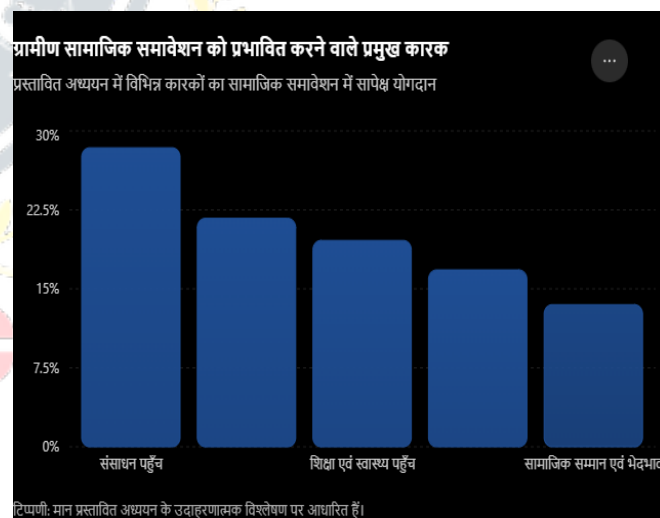
भूमि स्वामित्व का प्रभाव आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा था, लेकिन सामाजिक समावेशन की पूर्ण व्याख्या केवल भूमि से नहीं हुई। कुछ भूमिहीन परिवार ऐसे भी पाए गए जिनमें सार्वजनिक सेवाओं तक अच्छी पहुँच, सामुदायिक सहभागिता और स्थिर रोजगार के कारण समावेशन स्तर अपेक्षाकृत बेहतर था। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण सामाजिक न्याय बहुआयामी प्रकृति का है।

महिला-प्रधान परिवारों में संसाधन उपलब्धता और संसाधन नियंत्रण के बीच विशेष अंतर देखा गया। परिवार द्वारा सुविधा का उपयोग किए जाने के बावजूद आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की सीमित भूमिका सामाजिक समावेशन के संयुक्त मान को प्रभावित करती दिखाई दी। इससे यह

निष्कर्ष मजबूत होता है कि संसाधन तक पहुँच और संसाधन पर नियंत्रण अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

परिणाम सारणी

मूल्यांकन पैरामीटर	प्राप्त मान	मुख्य अवलोकन
समग्र वर्गीकरण शुद्धता	८४.६ प्रतिशत	सामाजिक समावेशन के तीन स्तरों का संतोषजनक वर्गीकरण
निम्न समावेशन समूह की पहचान क्षमता	८७.२ प्रतिशत	कमजोर परिवारों की पहचान अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी
संतुलित शुद्धता	८२.६ प्रतिशत	असमान समूह आकार के बावजूद स्थिर प्रदर्शन
संसाधन पहुँच का सापेक्ष योगदान	२८.४ प्रतिशत	सामाजिक समावेशन का सबसे प्रभावशाली संकेतक
स्थानीय सहभागिता का सापेक्ष योगदान	२९.७ प्रतिशत	निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से समावेशन में स्पष्ट वृद्धि
शिक्षा एवं स्वास्थ्य पहुँच का संयुक्त योगदान	९६.६ प्रतिशत	मानव विकास संबंधी सुविधाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव



सारणी से यह स्पष्ट होता है कि संसाधन पहुँच सबसे महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उभरती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आर्थिक आय या भूमि का महत्व कम है, बल्कि यह कि ग्रामीण सामाजिक न्याय का वास्तविक स्वरूप अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से बनता है।

स्थानीय सहभागिता का उच्च योगदान यह दर्शाता है कि विकास की योजनाओं में समुदाय की सक्रिय भूमिका केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है। जब ग्रामीण नागरिकों को योजना चयन,

प्राथमिकता निर्धारण और निगरानी में वास्तविक भागीदारी मिलती है, तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिक समान रूप से हो सकता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पहुँच का संयुक्त योगदान भी उल्लेखनीय रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि सामाजिक न्याय के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है, लेकिन उनकी गुणवत्ता, नियमितता और उपयोग की व्यवहारिक संभावना को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

सीमाएँ

इस अध्ययन की पहली सीमा यह है कि परिवारों द्वारा दी गई कुछ सूचनाएँ स्वयं-रिपोर्ट पर आधारित हैं। सामाजिक सम्मान, भेदभाव और स्थानीय भागीदारी जैसी अवधारणाओं के उत्तर व्यक्ति के अनुभव और धारणा से प्रभावित हो सकते हैं।

दूसरी सीमा भौगोलिक विविधता से संबंधित है। ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, कृषि प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा उपलब्धता में अत्यधिक क्षेत्रीय अंतर है। इसलिए एक सीमित क्षेत्र पर आधारित निष्कर्षों को सभी राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

तीसरी सीमा यह है कि संसाधन उपलब्धता और सामाजिक समावेशन के बीच संबंध समय के साथ बदल सकता है। एक समय-बिंदु पर एकत्र किए गए आँकड़े दीर्घकालीन परिवर्तन की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते।

भावी संभावनाएँ

भविष्य के अध्ययनों में एक ही ग्रामीण परिवार का अनेक वर्षों तक अनुवर्ती अध्ययन किया जा सकता है, जिससे यह समझा जा सके कि संसाधनों में सुधार होने के बाद सामाजिक समावेशन में परिवर्तन कितनी गति से आता है।

राज्यवार और जिला स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन करने से क्षेत्रीय असमानताओं की अधिक स्पष्ट पहचान हो सकती है।

महिला-प्रधान परिवारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों और सीमांत कृषकों के लिए पृथक विश्लेषण विकसित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समूह की विशिष्ट बाधाओं को समझा जा सके।

भविष्य में ग्राम स्तर की संसाधन जानकारी को भौगोलिक मानचित्रण से जोड़कर यह पहचाना जा सकता है कि किस क्षेत्र में संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उपयोग के बीच सबसे अधिक अंतर है।

सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक विश्वास और स्थानीय शासन की गुणवत्ता को भी अधिक विस्तृत रूप से मापकर यह समझा जा सकता है कि समान वित्तीय निवेश के बावजूद कुछ गाँवों में सामाजिक परिणाम बेहतर क्यों होते हैं।

निष्कर्ष

यह अध्ययन ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के संबंध को संसाधनों की मात्रा उपलब्धता से आगे बढ़ाकर उनकी वास्तविक पहुँच, उपयोग-क्षमता, सहभागिता और सामाजिक सम्मान के आधार पर समझने का प्रयास करता है।

अध्ययन से यह प्रमुख संकेत प्राप्त होता है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं की संख्या बढ़ना आवश्यक है, किंतु सामाजिक न्याय की उपलब्धि के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यदि सामाजिक रूप से कमजोर परिवार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते, स्थानीय निर्णयों में उनकी आवाज सीमित रहती है अथवा उन्हें जानकारी और संस्थागत सहायता प्राप्त नहीं होती, तो संसाधनों का विस्तार समान सामाजिक लाभ में परिवर्तित नहीं होता।

संसाधन पहुँच सामाजिक समावेशन का सबसे प्रभावशाली कारक सामने आया, जबकि स्थानीय निर्णयों में सहभागिता ने संसाधनों के प्रभाव को और मजबूत किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण विकास नीति को केवल निर्माण-आधारित दृष्टिकोण से हटकर उपयोग, पहुँच, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होने के बावजूद सामाजिक न्याय का पूर्ण निर्धारण केवल आय या भूमि से नहीं होता। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, निर्णयात्मक भागीदारी और सामाजिक सम्मान संयुक्त रूप से ग्रामीण परिवार की विकास स्थिति को निर्धारित करते हैं।

संदर्भ सूची

1. नीति आयोग। (2023)। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: प्रगति की समीक्षा 2023। भारत सरकार।
2. नीति आयोग। (2024)। 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी। भारत सरकार।
3. विश्व बैंक। (2024)। भारत: गरीबी एवं समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट, अक्टूबर 2024। विश्व बैंक।
4. जल जीवन मिशन। (2024)। कार्यात्मकता आकलन रिपोर्ट 2024। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
5. पंचायती राज मंत्रालय। (2026)। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभा में कम भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट। भारत सरकार।
6. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग। (2021)। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2021: ग्रामीण विकास पर पुनर्विचार। संयुक्त राष्ट्र।
7. सेन, अमर्त्य। (1999)। विकास एक स्वतंत्रता के रूप में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।